

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपरवण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

श्रीमा

बनाम

ओद्याराम

किस्म मुकदमा.....

नम्बर

55

सन् 18

अन्तर्गत धारा

212 RT Act

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>वकील नदि उप।</p> <p>वकील प्राथमिक व पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 15। सीपीसी पेश किया गया पार्थना पत्र दर्द रजिस्टर देखर अपाधिकारी गण धूमिने नोटिस करिने नोटिस तलब हो पत्रावली वास्ते जवाब होतु दिनांक 11/2/19 को पेश हो</p> <p>28/1/19 - प्राथमिक मय अधिवक्ता उपर मूल बाद नियत तिथि से तलब किया जाकर जारी विशेष खारीज हो चुका है, जिससे पार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं है, पार्थना-पत्र इनफ्रेक्स हो चुका है। अतः पार्थना-पत्र खारीज किया जाकर मूल पत्रावली के चलन किया जाकर पत्रावली फेसल सुमाद होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p>मुराराम</p> <p>उपरवण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)</p>